

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, नवगछिया

पत्रांक 30983120 नवगछिया

दिनांक :- 13/12/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नवगछिया।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
State MIS, BRRDA,
पटना

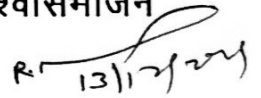
विषय:-State MIS में PMGSY-II के Road का नाम प्रविष्ट करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि PMGSY-II योजना आन्तर्गत State MIS में Road का नाम प्रविष्ट करने हेतु विहित प्रपत्र में तैयार कर आपके आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनु०:- प्रपत्र संलग्न एवं प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र।

विश्वासभाजन


13/12/21


13/12/21
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, नवगछिया।

NAME OF DISTRICT-Bhagalpur NAME OF DIVISION Navgachhiya

Sl No	Block	Name of Habitation	Name of Road	Length (In K.M)	A.A. Amount (In Lacs)	Remarks
1	Rangra Chowk	Dumaria	MRL01-PWD Dumariya Path To Tintanga Bishari Sthan	4.930	280.970	


EXECUTIVE ENGINEER


RWD(W) Division
13/19/21 Navgachhiya

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-PMGSY-1661/2019 - 5562

/पटना, दिनांक-23.11.2019

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-॥ के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में संलग्न सूची के अनुसार पथ निर्माण की कुल 243 अदद योजनाओं एवं पुल निर्माण के कुल 06 अदद योजनाओं के लिये स्तम्भ-6 में अंकित लंबाई (कि0मी0/मी0) एवं स्तम्भ-11 में निर्माण तथा अनुरक्षण सहित अंकित राशि के उन्नयन/ चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं निर्माण कार्य हेतु अलग-अलग योजनाओं के लिये जिनकी सम्मिलित राशि रू0 598.0663 करोड़ रुपये (पाँच अरब अन्तानवे करोड़ छः लाख तिरसठ हजार रुपये) मात्र है, पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

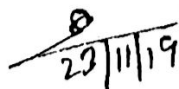
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के 34 जिलों यथा अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, छपरा(सारण), दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर(भभुआ), कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिम चम्पारण जिलों में राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-॥ के अन्तर्गत पथों एवं पुलों के लिए समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-P-17024/4/(3)/2018-RC दिनांक-11.11.2019 के द्वारा कुल 347 पथों जिनकी लम्बाई 2465.38 कि0मी0 तथा प्राक्कलित राशि रू0 1381.77 करोड़ एवं 06 पुलों जिनकी लम्बाई 266.54 मी0 तथा प्राक्कलित राशि रू0 14.06 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कुल स्वीकृत राशि रू0 1395.83 करोड़ जिसमें राज्यांश की राशि रू0 558.36 करोड़ है।

इनमें से 0-5.00 करोड़ की योजनाओं पर स्तम्भ-11 में अंकित राशि के निर्माण हेतु अलग-अलग योजनाओं के लिये निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु क्रमशः राशि रू0 542.4042 करोड़ रुपये तथा रू0 55.6621 करोड़ रुपये जिनकी कुल राशि रू0 598.0663 करोड़ रुपये




14/11/19
Sr. Asst. Secy


23/11/19

(पाँच अरब अन्तानवे करोड़ छः लाख तिरसठ हजार रूपये) मात्र है, पर निम्न योजनाओं के लिए विधिवत् योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

PMGSY-II 2019-20 (Batch-1) 00-05.00 Cr. Roads and Bridges.										
Sl. No.	District	Block	Package Number	Road Name	Pavement Length (in Kms.)	Mord Share Cost (in Lakhs)	Total State Share (in Lakhs)	Total Construction Cost (in Lakhs)	Maintenance Cost (in Lakhs)	Total Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RRP-II AF										
1	Arwal	Arwal	BR38P2 R001	L058-Patna Aurangabad to Bahadurapur	4.05	72.83	48.56	121.39	44.28	165.67
2	Aurangabad	Barun	BR02P2 R-01	MRL04-KATEYA To MAKHRA	2.20	78.33	52.22	130.55	7.33	137.88
3	Aurangabad	Goh	BR02P2 R-02	L036-GOH GAYA ROAD T02 TO DAUDPUR	6.46	237.94	158.63	396.57	22.34	418.91
4	Aurangabad	Obra	BR02P2 R-04	L047-T04 TO KADIAHI KHURD	5.17	153.82	102.54	256.36	22.5	278.86
5	Banka	Amarpur	BR03P2 R-01	MRI 01-Mahadeopur to Kashba via Ranikitta to Pranathpur	9.05	238.52	159.01	397.53	37.88	435.41
6	Banka	Barahat	BR03P2 R-02	MRL01-Beg-dumka rd to bhuma	6.95	157.51	105.01	262.52	33.25	295.77
7	Begusarai	Bakhri	BR04P2 R-01	MRL01-BAKHRI T02 TO NISHARA (VR4)	3.80	102.4	68.26	170.66	17.49	188.15
8	Begusarai	Baliya	BR04P2 R-02	MRL01-NH31 INIAR DHALA TO RAHATPUR (VR7)	2.47	67.47	44.98	112.45	13.14	125.59
9	Begusarai	Begusarai	BR04P2 R-03	MRL01-T01 TO BANBADA (TRACK5)	5.49	135.48	90.32	225.8	29.75	255.55
10	Begusarai	Cheriabariaripur	BR04P2 R-07	MRL01-Begusarai - Rosera To Aure East	4.60	119.85	79.9	199.75	23.3	223.05
11	Begusarai	Cheriabariaripur	BR04P2 R-08	MRL02-Skarbasa Sripur TO KUMBHI (ODR22)	6.81	222	148	370	25.68	395.68
12	Begusarai	Garhpura	BR04P2 R-09	MRL01-RAJAUR POKHAR TO KUWARTOLI VIA KARIAWAN	3.49	89.66	59.77	149.43	15.79	165.22
13	Begusarai	Khodwanpur	BR04P2 R-10	MRL01-T02 TO DAULATPUR KOTHI (VR9) Chowk Salauna to Jana	5.02	131.49	87.66	219.15	21.11	240.26
14	Begusarai	Sahebpur Kamal	BR04P2 R-11	MRL01-L021 TO RAHUA BABHAN TOLA	5.88	142.33	94.89	237.22	34.56	271.78
15	Begusarai	Sahebpur Kamal	BR04P2 R-12	MRL02-RAILWAY CROSSING NAYATOLA TO CHOKI	4.86	117.88	78.59	196.47	21.68	218.15
16	Bhagalpur	Rengra Chowk	BR06P2 R-02	MRL01-PWD Dumariya Path To Tintanga Bishari Sthan	4.93	159.32	106.21	265.53	15.44	280.97
17	Bhagalpur	Shahkundi	BR06P2 R-03	MRL02-KASBA KHERHI TO BELTHOO	6.70	166.97	111.32	278.29	19.09	297.38
18	Bhojpur	Tarari	BR07P2 R-02	MRL02-Kurmuri to Tarari	8.83	219.73	146.48	366.21	40.49	406.7
19	Chhapra (Saran)	Amnaur	BR09P2 R-01	T06-Repura to Korea	8.75	181.88	121.25	303.13	38.94	342.07
20	Chhapra (Saran)	Amnaur	BR09P2 R-02	T01-Molanpur Dudha Kendra to Amarapur Paiga Bazar	3.30	85.91	57.28	143.19	13.04	156.23
21	Chhapra (Saran)	Amnaur	BR09P2 R-03	L076-Arna Khothi to Pojhi	7.09	146.3	97.53	243.83	32.18	276.01

23/11/19

इनमें से 0-5.00 करोड़ के कुल 243 पथों लम्बाई 1151.92 कि०मी० अनुरक्षण सहित कुल प्राक्कलित राशि रु० 583.9396 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसमें राज्यांश की राशि क्रमशः 211.3473 करोड़ रुपये की राशि होगी जो PMGSY (राज्यांश) मद के लिये राज्य बजट से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी तथा अनुरक्षण की राशि रु० 55.5973 करोड़ रुपये होगी जो गैर योजना बजट 3054 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी एवं कुल 06 पुलों लम्बाई 266.54 मी० अनुरक्षण सहित कुल प्राक्कलित राशि रु० 14.1267 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसमें राज्यांश की राशि क्रमशः 05.6248 करोड़ रुपये की राशि होगी जो PMGSY (राज्यांश) मद के लिये राज्य बजट से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी तथा अनुरक्षण की राशि रु० 06.48 लाख रुपये होगी जो गैर योजना बजट 3054 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी। विभाग के लिए शीर्ष 3054 के तहत प्रावधानित बजटीय उपबंध से अनुरक्षण कार्य के लिए कर्णांकित राशि से वहन किया जायेगा। यहाँ यह उल्लेखनिय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-।। के वर्ष 2019-20 (Batch-1) के अन्तर्गत Programme fund से कार्यान्वित की जाने वाली इन योजनाओं के लिए अनुरक्षण हेतु निर्धारित अवधि 05 साल है।

3. ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार मानक निविदा अभिलेख पर e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।

4 योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

5 यह एक केन्द्रीय योजना है जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-।। के दिशा-निर्देश के आलोक में किया जाना है। पथ निर्माण के लिये मूल स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत बिहार सरकार द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी विभाग के योजना बजटशीर्ष-4515 नई सड़कें एवं पुल मद में PMGSY (राज्यांश) मद में प्राप्त होने वाली राशि से किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में PMGSY योजनान्तर्गत प्रोग्राम फंड के केन्द्रांश मद के लिए रु० 4086.66 करोड़ एवं राज्यांश मद के लिए रु० 1200.00 करोड़ का बजट निर्धारित है। कुल रु० 3511.83 करोड़ वर्तमान में उपलब्ध है, का प्रयोग योजना के प्रशासनिक स्वीकृति के कारण उत्पन्न दायित्व के व्यय के लिए किया जायेगा।

6 वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।

7 प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8 योजना के कार्यान्वयन के क्रम में कार्यान्वयन अंतराल पर निर्धारित निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह संबंधित कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा कि निरीक्षण विवरणी विहित प्रपत्र में निर्धारित चरणवार अभिलेखबद्ध किया जायेगा तथा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।



6

8
23/11/19

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग विहित प्रपत्रों एवं अन्तराल पर योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

10. इस योजना के लिए सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग के संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-1661/2019 के पृ०-27/टि० पर दिनांक-15.11.19 को प्राप्त है।

11. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45/94-301वि (2), दिनांक-31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि (2), दिनांक-15.09.2005, वित्त विभाग के पत्रांक एम-4-53/2007-3758 वि०, दिनांक-31.05.2017, के प्रावधानों एवं वित्त नियमावली, खण्ड-1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है तथा ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या-मु०अ०-4-PMGSY-5-17/09-4168, दिनांक-22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-1661/2019 पृ०-28/टि० पर दिनांक-20.11.19 को प्राप्त है।



विश्वासभाजन

23/11/19

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-1661/2019-5562

/पटना, दिनांक-23.11.2019

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित।



23/11/19

अपर सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-1661/2019-5562

/पटना, दिनांक-23.11.2019

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रा० का० वि०, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा० का० वि०/अभियंता प्रमुख के सचिव (ग्रा०), ग्रा० का० वि०/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



SE-44-M.O
pmury

23/11/19

अपर सचिव